

हरियाणा सरकार

सचिवालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 मई, 1996

संख्या सा० का० नि० 38 /संविधान/अनुच्छेद 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सिविल सचिवालय (राज्य सेवा ग्रुप-घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग-I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा सिविल सचिवालय (राज्य सेवा ग्रुप-घ) सेवा नियम, 1996, संक्षिप्त नाम ।
कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

- (क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है ऐसी भर्ती जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
- (ख) "रोजगार कार्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालय ;
- (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;
- (घ) "राज्य सैनिक बोर्ड" से अभिप्राय है, सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा का कार्यालय ;
- (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; और
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था ;
- (च) सेवा से अभिप्राय है हरियाणा सिविल सचिवालय (राज्य सेवा ग्रुप-घ) सेवा।

भाग-II सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में उल्लिखित पद होंगे :

पदों की संख्या
तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये
गये उम्मीदवारों
की राष्ट्रीयता,
अधिवास तथा
चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे, ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे रोजगार कार्यालय या भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति परिचित हों और उसके विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो रोजगार कार्यालय और राज्य सैनिक बोर्ड से उम्मीदवारों के नामों की प्राप्ति के लिये नियत दिन को 16 वर्ष की आयु से कम या 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां अवर सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय स्थापना द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी

भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जायेगी। यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की प्रशिक्षित संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

अयोग्यताएं ।

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी —

भर्ती का ढंग ।

(क) नलसाज की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) प्रधान द्वारपाल की दशा में —

(i) द्वारपालों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) बड़ई की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) द्वारपाल की दशा में —

- (i) बराबर के अनुपात में वरिष्ठ सेवादारों तथा द्वार सन्देश वाहकों में से पदोन्नति द्वारा, अथवा;

टिप्पण:—द्वारपाल का पद सन्देशवाहक तथा वरिष्ठ सेवादार के पद के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से अधिक महत्व का है।

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ङ) द्वार सन्देशवाहकों की दशा में —

- (i) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर में से पदोन्नति द्वारा; या

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(च) दफ्तरी की दशा में —

- (i) रिकार्ड वाहकों में से पदोन्नति द्वारा; या

टिप्पणी:—दफ्तरी का पद रिकार्ड वाहक के पद के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से अधिक महत्व का है।

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(छ) रिकार्ड वाहक की दशा में —

- (i) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर में से पदोन्नति द्वारा; या

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ज) वरिष्ठ सेवादार की दशा में —

- (i) सेवादार-कम-चौकीदार या क्लीनर में से पदोन्नति द्वारा; या

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(झ) प्रधान चौकीदार की दशा में —

- (i) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर में से पदोन्नति द्वारा; या

- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) प्रधान मेहतर की दशा में —

- (i) मेहतर एवं शीशे साफ करने वाले, मेहतर एवं चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ट) विद्युतकार एवं हैल्पर की दशा में —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ठ) साईकल मिस्त्री की दशा में —

- (i) हरियाणा सिविल सचिवालय के सेवादार एवं चौकीदार या मलीनर में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ड) मेहतर की दशा में —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ढ) मेहतर एवं शीशे साफ करने वाले की दशा में —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ण) मेहतर एवं चौकीदार की दशा में —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(त) फराश की दशा में —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ब) सेवादार-कम-चौकीदार की दशा—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(द) कुर्सी बूतकर की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ध) लाइनमैन रैंक के सहायक की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(न) नलसाज सहायक की दशा में —

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(प) क्लीनर की दशा में —

(i) सेवादार-कम-चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) अब तक अन्यथा अपवन्धित न किया गया हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार नहीं देगी ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी रिक्त पद भरने की नीति निर्धारित करेगा ।

परिबीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिबीक्षा की अवधि की और गिनी जायेगी ।

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है और,

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ;

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा सेवा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि अस्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है।

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु वह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय निश्चित योग्यता कम नहीं बदला जायगा :

परन्तु यह और भी कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नति या स्थानान्तरण किये गये थे ; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के सदस्य को नीचे लिखे अनुसार भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व का नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

- (iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकार निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा उसके बाद अपनाये या बनाए जाएं।

वेतन, छुट्टी, पेंशन
तथा अन्य
मामले।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

अनुशासन
शास्तियां तथा
अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "ब" में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

राज्य निष्ठा की
शपथ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

ढील देने की
शक्ति।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

विशेष उपबन्ध।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा
व्यावृत्ति :

20. पंजाब राज्य (गुप-IV) सेवा नियम, 1963, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

(परिशिष्ट क)

(देखिये नियम-3)

पदों की संख्या

क्रम संख्या	पद नाम	स्थायी	अस्थायी	कुल	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	नलसाज	1	—	1	1,200-30-1,560-दक्षतारोघ-40-2,040
2	प्रधान द्वारपाल	1	—	1	1,200-30-1,560-दक्षतारोघ-40-2,040-जमा 80 विशेष वेतन
3	बढ़ई	1	—	1	950-20-1,150-दक्षतारोघ-25-1,400 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
4	द्वारपाल	6	—	6	800-15-1,010-दक्षतारोघ-20-1,150 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
5	द्वार संदेशवाहक	8	—	8	800-15-1,010-दक्षतारोघ-20-1,150 जमा 50 रुपये विशेष वेतन
6	दफ्तरी	15	—	15	800-15-1,010-दक्षतारोघ-20-1,150 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
7	रिकार्ड वाहक	7	—	7	800-15-1,010-दक्षतारोघ-20-1,150 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
8	वरिष्ठ सेवादार	36	14	50	800-15-1,010-दक्षतारोघ-20-1,150-जमा 30 रुपये विशेष वेतन
9	प्रधान चौकीदार	1	—	1	800-15-1,010-दक्षतारोघ-20-1,150-जमा 40 रुपये विशेष वेतन
10	प्रधान मेहतर	1	—	1	775-12-955-दक्षतारोघ-14-1,025-जमा 40 रुपये विशेष वेतन जमा 65 विशेष भत्ता
11	विद्युतकार एवं हेल्पर	—	1	1	775-12-955-दक्षतारोघ-14-1,025 जमा 30 रुपये विशेष वेतन

1	2	3	4	5	6
12	साईकिल मिस्त्री	1	—	1	775-12-955-दक्षतारोध-14-1,025 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
13	मेहतर	1	—	1	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन जमा 65 विशेष भत्ता
14	मेहतर एवं शीशे साफ करने वाला	21	6	27	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन जमा 65 रुपये विशेष भत्ता
15	मेहतर एवं चौकीदार	1	—	1	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन जमा 65 रुपये विशेष भत्ता
16	कराश	2	—	2	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
17	सेवादार एवं चौकीदार	240	64	304	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
18	कुर्सी बुनकर	1	1	2	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
19	लाईनमैन रेक्स सहायक	1	—	1	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
20	नलसाज सहायक	1	—	1	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन
21	क्लीनर	1	—	1	750-12-870-दक्षतारोध-14-940 जमा 30 रुपये विशेष वेतन

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम -7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों	सीधी भर्ती से अन्यथा निरुद्धि के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3	4
1	नलसाज	(i) मैट्रिक पास ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ; (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नलसाजी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र और व्यवसाय में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव	(i) मैट्रिक पास ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी ; (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नलसाजी में डिप्लोमा या या प्रमाण पत्र और व्यवसाय में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।
2	प्रधान द्वारपाल	—	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) द्वारपाल के रूप में एक वर्ष का अनुभव
3	बढ़ई	(i) मिडल पास ; (ii) मिडल स्तर तक हिन्दी ; (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से बढ़ईगिरी में डिप्लोमा और व्यवहाय में व्यवहारिक एक वर्ष का अनुभव ।	(i) मिडल पास ; (ii) मिडल स्तर तक हिन्दी ; (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से बढ़ईगिरी में डिप्लोमा और व्यवहाय में व्यवहारिक एक वर्ष वर्ष का अनुभव ।
4	द्वारपाल	—	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान । (ii) संदेशवाहक या वरिष्ठ सेवा- दार के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
5	द्वार. संदेशवाहक	—	(i) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
6	दफ्तरी	—	(i) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) रिकार्डवाहक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।
7	रिकार्डवाहक	—	(i) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
8	वरिष्ठ सेवादार	—	(i) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
9	प्रधान चौकीदार	—	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
10	प्रधान मेहतर	—	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) मेहतर एवं शीशा साफ करने वाला या मेहतर एवं चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
11	विद्युतकार एवं हैल्पर	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) मुख्य विद्युत निरीक्षक हरियाणा से "क" श्रेणी वायरमैन की अनु-जति रखता हो	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) मुख्य विद्युत निरीक्षक हरियाणा से "क" श्रेणी वायरमैन की अनु-जति रखता हो
12	साईकिल मिस्त्री	साईकिल मुरम्मत कर्मशाला में साईकिल मिस्त्री के रूप में पांच वर्ष का अनुभव	(i) सेवादार एवं चौकीदार या क्लीनर के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) साईकिल मुरम्मत से पूरी तरह परिचित होना चाहिये ।

1	2	3	4
13	मेहतर	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;
14	मेहतर एवं शीशा साफ करने वाला	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;
15	मेहतर एवं चौकीदार	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;
16	फराश	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;
17	सेवादार एवं चौकीदार	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;	हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ;
18	कुर्सी बुनकर	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) कुर्सी बुनने का ज्ञान ;	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) कुर्सी बुनने का ज्ञान ;
19	लाईनमैन रैक्स	(i) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) रैक्स के अनुरक्षण में छः माहस का अनुभव	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) रैक्स के अनुसरण में छः मास का अनुभव ।
20	तलसाज सहायक	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) फिटिंग तथा सफाई या जल सप्लाई (आन्तरिक) के अनुरक्षण में छः मास का अनुभव ।	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) फिटिंग तथा सफाई या जल सप्लाई (आन्तरिक) के अनुरक्षण में छः मास का अनुभव ।
21	क्लीवर	—	(i) हिन्दी तथा अंग्रेजी का ज्ञान ; (ii) सेवादार एवं चौकीदार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

परिशिष्ट 'ग'

[दिखिए नियम 14 (1)]

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो ।
1	2	3	4	5	6	7
1	नलसाज	अवर सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय स्थापना	1. छोटी शास्तियां	अवर सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय स्थापना	संयुक्त सचिव/उप-सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय स्थापना	सरकार
2	प्रधान द्वारपाल		(i) बैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
3	बर्दई		(ii) परिनिन्दा ;			
4	द्वारपाल		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
5	द्वार संदेशवाहक		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा			
6	दफ्तरी		केन्द्र सरकार या राज्य सरकार			
7	रिफार्ड वाहक		को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या			
8	वरिष्ठ सेवादार		व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो			
9	प्रधान चौकीदार		या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश			
10	प्रधान मेहतर		स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास			
11	विधुतकार एवं हैलपर		है या संसद या राज्य अधिनियम द्वारा			
12	सार्ईकिल मिस्त्री		स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या			
13	मेहतर		विश्वविद्यालय की धन सम्बन्धी पूरी हानि			
14	मेहतर एवं शीशे साफ करने वाला		की या उसके भाग की वेतन के वसूली ;			
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			

1	2	3	4	5	6	7
			2. बड़ी भास्तियां :			
15	मेहतर एवं चौकीदार	(vi)	संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना;			
16	फराश	(vii)	किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
17	सेवादार एवं चौकीदार	(viii)	निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति, जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पर्यवसित के लिए साधारणतः रोक होंगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ;			
18	कुर्सी बूतकर	(ix)	अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
19	लाईनमैन (रैक्स सहायक)	(x)	सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;			
20	नलसाज सहायक	(xi)	सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी ।			
21	क्लीनर					

परिशिष्ट घ
[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	नलसाज	(i) पेशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पेशन की राशि में कमी करना या रोकना	अवर सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय स्थापना	संयुक्त सचिव/ उप सचिव, हरियाणा सरकार, सचिवालय स्थापना	सरकार
2	प्रधान द्वारपाल				
3	बड़ई				
4	द्वारपाल				
5	द्वार संदेशवाहक	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
6	दफ्तरी				
7	रिक्वाडवाहक				
8	वरिष्ठ सेवादार				
9	प्रधान चौकीदार				
10	प्रधान मेहतर				
11	विद्युतकार एवं हेल्पर				
12	सार्दिकिल मिस्त्री				
13	मेहतर				
14	मेहतर एवं शीशे साफ करने वाला				
15	मेहतर एवं चौकीदार				
16	फराश				
17	सेवादार एवं चौकीदार				
18	कुर्सी बुनकर				
19	लाईनमन रैक्स सहायक				
20	नलसाज सहायक				
21	क्लीनर				

एम० सी० गुप्ता,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
SECRETARIAT DEPARTMENT

Notification

The 24th May, 1996

No. CSR 38/Const./Art.309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and condition of service of persons appointed to the Haryana Civil Secretariat (State Service Group D) Service namely :—

Part-I General

1. These rules may be called the Haryana Civil Secretariat (State Service Group D) Service Rules, 1996.

Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires :—

Definition.

- (a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- (b) "Employment Exchange" means the Employment Exchange situated in Haryana ;
- (c) "Government" mean the Haryana Government in the Administrative Department ;
- (d) "Institution" means,—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;
- (e) "Rajya Sainik Board" means the office of the Secretary, Rajya Sainik Board, Haryana ;
- (f) "Service" means the Haryana Civil Secretariat (State Service Group D) Service.

Part-II Recruitment to Service

3. The Service shall comprise the post, shown, in Appendix A to these rules :

Number and
Character of
Posts.

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality
domicile and
character of
the candidates
appointed to
the service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an interview conducted by the Employment Exchange or recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of Character from the Principal Academic Officer of the School or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 16 years or more than 35 years of age on the day fixed for the receipt of names of the candidates from the Employment Exchange and Rajya Sainik Board.

Appointing
Authority.

6. Appointment to the posts in the Services shall be made by the Under Secretary to Government, Haryana, Secretariat Establishment.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and these specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 per cent at the discretion of the recruiting authority, in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Class, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

Disqualification.

- (a) who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

Method of recruitment.

(a) in case of Plumber,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) in case of Head Gate Keeper,—

- (i) by promotion from amongst Gate Keepers ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in service of any state Government or the Government of India ;

(c) in case of Carpenter,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) in case of Gate Keeper,—

- (i) by promotion from amongst Gate Messengers and Senior Peons in equal proportion ; or

Note.—The post of Gate Keeper involve the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of Gate Messenger and Senior Peon.

- (ii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(e) in case of Gate Messenger,—

- (i) by promotion from amongst Peon-cum-Chowkidar or Cleaner ;
or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in service of any State Government or the Government of India ;

(f) in case of Daftari,—

- (i) by promotion from amongst Record Lifter ; or
- (ii) by transfer or deputation of any official already in service of any State Government or the Government of India ;

Note.—The post of Daftari involves the assumption of duties and responsibilities of greater importance than those of the Record Lifter.

(g) in case of Record Lifter,—

- (i) by promotion from amongst Peon-cum-Chowkidar or Cleaner ; or
- (ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(h) in case of Senior Peon,—

- (i) by promotion from amongst Peon-cum-Chowkidar or Cleaner ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(i) in case of Head Chowkidar,—

- (i) by promotion from amongst the Peon-cum-chowkidar or cleaner ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(j) in case of Head Sweeper,—

- (i) by promotion from amongst the Sweeper-cum-Glass Cleaner, Sweeper-cum-Chowkidar ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(k) in case of Assistant Electrician-cum-Helper,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(l) in case of Cycle Mechanic,—

- (i) by promotion from amongst the Peon-cum-Chowkidar or Cleaner of the Haryana Civil Secretariat ; or
- (ii) by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(m) in case of Sweeper,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already into service of any State Government or the Government of India ;

(n) in case of Sweeper-cum-Glass Cleaner,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(o) in case of Sweeper-cum-Chowkidar,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(p) in case of Frash,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(q) in case of Peon-cum-chowkidar,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(r) in case of Cane Worker,—

(i) by direct recruitment or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(s) in case of Helper to Lineman Rax,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(t) in case of Helper to Plumber,—

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or the Government of India ;

(u) in case of Cleaner, —

(i) by promotion from amongst Peon-cum-Chowkidar ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on the seniority-cum-fitness basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) Appointing Authority shall determine the manner in which the vacancy is to be filled in .

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that,—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation, on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation.

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work and conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may :—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

- (i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
- (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment, permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probations :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of members of Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such services is also same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability
to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the state of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be reputed to serve under,—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government a municipal Corporation or a Local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the General Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government an international organisation, an autonomous body not controlled by the Central Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave,
pension
and other
matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Disci-
pline,
penalties
and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be Governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) of clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and Appellate authority shall be as specified in Appendix 'D' to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of
allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the tion of India, as by law established.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any clause or category of persons.

Power of
relaxation.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Special
provisions.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of person or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Reser-
vation.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

20. The Punjab State (Class-IV) services Rules, 1963, are hereby repealed :

Repeal
and
saying.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule-3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary		
1	2	3	4	5	6
1	Plumber	1	..	1	Rs. 1,200—30—1,560—EB—40—2,040
2	Head Gate Keeper	1	..	1	Rs. 1,200—30—1,560—EB—40—2,040+80 Special pay
3	Carpenter	1	..	1	Rs. 950—20—1,150—EB—25—1,400+30 Special pay
4	Gate Keeper	6	..	6	Rs. 800—15—1,010—EB—20—1,150+50 Special pay
5	Gate Messenger	8	..	8	Rs. 800—15—1,010—EB—20—1,150+50 Special pay
6	Daftari	15	..	15	Rs. 800—15—1,010—EB—20—1,150+30 Special pay
7	Record Lifter	7	..	7	Rs. 800—15—1,010—EB—20—1,150+30 Special pay
8	Senior Peon	36	14	50	Rs. 800—15—1,010—EB—20—1,150+30 Special pay
9	Head Chowkidar	1	..	1	Rs. 800—15—1,010—EB—20—1,150+40 Special pay
10	Head Sweeper	1	..	1	Rs. 775—12—955—EB—14—1,025+30 Special pay Rs. 65 special allowance.
11	Assistant Electrician-cum-Helper	..	1	1	Rs. 775—12—955—EB—14—1,025+30 Special pay
12	Cycle Mechanic	1	..	1	Rs. 775—12—955—EB—14—1,025+30 Special pay
13	Sweeper	1	..	1	Rs. 750—12—870—EB—14—940+30 Special pay +Rs. 65 Special allowance.

14	Sweeper-cum-Glass Cleaner	21	6	27	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay +Rs. 65 Special allowance.
15	Sweeper-cum-Chowkidar	1	..	1	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay+65 Special allowance.
16	Frash	2	..	2	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay
17	Peon-cum-Chowkidar	240	64	304	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay
18	Cane Worker	1	1	2	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay
19	Helper to Lineman RAX	1	..	1	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay
20	Helper to Plumber	1	..	1	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special pay
21	Cleaner	1	..	1	Rs. 750—12—870—EB—14— 940+30 Special Pay

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experiences, if any for direct recruitment	Academic qualifications if any for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Plumber	(i) Matric Pass ; (ii) Hindi upto matric (iii) Diploma or certificate in plumbing from Industrial Training Institute and one year practical experience in the trade.	(i) Matric Pass ; (ii) Hindi upto matric standard ; (iii) Diploma or certificate in plumbing from Industrial Training Institute and one year practical experience in the Trade.
2	Head Gate Keeper		(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) One year experience as Gate Keeper.
3	Carpenter	(i) Middle Pass ; (ii) Hindi upto Middle standard ; (iii) Diploma in carpentry from Industrial Training Institute and one year practical experience in the Trade.	(i) Middle Pass ; (ii) Hindi upto middle standard. (iii) Diploma in Carpentry from Industrial Training Institute and one year Practical experience in the trade.
4	Gate Keeper	..	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) One year experience as Gate Messenger or Senior Peon.
5	Gate Messenger	..	(i) Knowledge of Hindi and English. (ii) Two years experience as Peon-cum-chowkidar or Cleaner.
6	Daftari	..	(i) Knowledge of Hindi and English. (ii) One year experience as record lifter.

1	2	3	4
7	Record Lifter		(i) Knowledge of Hindi and English. (ii) Two years experience as Peon-cum-chowkidar or Cleaner.
8	Senior Peon		(i) Knowledge of Hindi and English. (ii) Two years experience as Peon-cum-chowkidar or Cleaner.
9	Head Chowkidar		(i) Knowledge of Hindi and English. (ii) Two years experience as Peon-cum-chowkidar or Cleaner.
10	Head Sweeper		(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Two years experience as Sweeper-cum-glass cleaner or Sweeper-cum-Chowkidar.
11	Assistant Electrician-cum-Helper	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Having a licence of A Class wire man from Chief Electrical Inspector, Haryana.	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Having a licence of A Class wire man from Chief Electrical Inspector, Haryana.
12	Cycle Mechanic	(i) Five years experience as Cycle Mechanic into cycle repair workshop	(i) Two years experience as Peon-cum-chowkidar or Cleaner. (ii) Should be fully conversant with the repair of cycle
13	Sweeper	Knowledge of Hindi and English	Knowledge of Hindi and English ;
14	Sweeper-cum-Glass Cleaner	Knowledge of Hindi and English	Knowledge of Hindi and English ;
15	Sweeper-cum-Chowkidar	Knowledge of Hindi and English ;	Knowledge of Hindi and English ;
16	Frash	Knowledge of Hindi and English ;	Knowledge of Hindi and English ;
17	Peon-cum-Chowkidar	Knowledge of Hindi and English ;	Knowledge of Hindi and English ;

1	2	3	4
18	Cane Worker	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Knowledge of canning.	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Knowledge of canning.
19	Helper to Lineman (RAX)	(i) Knowledge of Hindi and English.	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) 6 months experience in RAX maintenance.
20	Helper to Plumber	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Six months experience of fittings and maintenance of sanitary or water supply (internal)	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Six months experience of fitting and maintenance of sanitary or water supply. (internal)
21	Cleaner	..	(i) Knowledge of Hindi and English ; (ii) Two years experience as Peon-cum-chowkidar.

APPENDIX 'C'

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Plumber	Under Secretary to Government, Haryana, Secretariat Establishment	Minor Penalties :			
2	Head Gate Keeper		(i) Warning with a copy on the personnel file (character roll) ;	Under Secretary to Government, Haryana Secretariat Establishment	Joint/Deputy Secretary to Government, Haryana Secretariat Establishment	Government
3	Carpenter		(ii) Censure ;			
4	Gate Keeper		(iii) Withholding of promotion ;			
5	Gate Messenger		(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			
6	Daftari					
7	Record Lifter					
8	Senior Peon					
9	Head Chowkidar		(v) Withholding of increments of pay without cumulative affect ;			
10	Head Sweeper					
11	Assistant-Electrician-cum-helper					

APPENDIX 'C'

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Plumber	Under Secretary to Government, Haryana, Secretariat Establishment	Minor Penalties : (i) Warning with a copy on the personnel file (character roll) ; (ii) Censure ; (iii) Withholding of promotion ; (iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and (v) Withholding of increments of pay without cumulative affect ;	Under Secretary to Government, Haryana Secretariat Establishment Joint/Deputy Secretary to Government, Haryana Secretariat Establishment Government		
2	Head Gate Keeper					
3	Carpenter					
4	Gate Keeper					
5	Gate Messenger					
6	Daftari					
7	Record Lifter					
8	Senior Peon					
9	Head Chowkidar					
10	Head Sweeper					
11	Assistant-Electrician-cum-helper					

APPENDIX 'D'

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate, if any
1	2	3	4	5	6
1	Plumber	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Under Secretary to Government, Haryana Secretariat Establishment	Joint/Deputy Secretary to Government Haryana Secretariat Establishment	Government
2	Head Gate Keeper				
3	Carpenter				
4	Gate Keeper				
5	Gate Messenger	(ii) Terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.			
6	Daftari				
7	Record Lifter				
8	Senior Peon				
9	Head Chowkidar				
10	Head Sweeper				
11	Assistant Electrician-cum-Helper				
12	Cycle Mechanic				
13	Sweeper				
14	Sweeper-cum-Glass Cleaner				
15	Sweeper-cum-Chowkidar				
16	Frash				
17	Peon-cum-Chowkidar				
18	Cane Worker				
19	Helper to Lineman (RAX)				
20	Helper to Plumber				
21	Cleaner				

M. C. GUPTA,

Chief Secretary to Government, Haryana.